तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/3241/2005/जयपुर भंवर लाल व अन्य बनाम भूरा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-11-18	**एकलपीठ** **श्री धूकलराम कसवां, सदस्य** **उपस्थित** श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थी श्री एल एस माथुर ब्रीफ होल्डर अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक 6–5–97 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो वाद के लम्बित रहने के दौरान अपील की कार्यवाही स्टे करने बाबत प्रस्तुत किया गया था उसे खारिज किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये बताया कि पक्षकारों के मध्य नियमित वाद सक्षम राजस्व न्यायालय में लम्बित है इस कारण नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधारों पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगराधीन आदेश निरस्त किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण के अपील की कार्यवाही को स्थगित रखा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/3241/2005/जयपुर भंवर लाल व अन्य बनाम भूरा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन होने से नामान्तरकरण की अपील की सुनवाई को स्थगित रखे जाने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी की ओर से वाद में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बाबत आदेश होने के बाबजूद प्रश्नगत नामान्तरकरण खुलवा लिया। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकण संख्या 888 दिनांक 15–2–97 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खातेदार रामूराम गोपीराम पिसरान लादू के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई है। यह अपील अधीनस्थ न्यायाालय के समक्ष विरासत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। पक्षकारान के मध्य नियमित वाद में विवादित बिन्दु क्या है, इस बाबत हमारे समक्ष वाद पत्र की प्रति आदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नामान्तरकरण की अपील में विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। इसलिये नियमित वाद के निस्तारण तक नामान्तकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की कार्यवाही को स्थगित किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक भूल नहीं की है। निगरानी का दायरा

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/3241/2005/जयपुर भंवर लाल व अन्य बनाम भूरा व अन्य	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीमित होता है। अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि की हो अथवा विधि की व्याख्या करने में कोई भूल की हो तभी निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवां)** **सदस्य**	